न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री लादाराम पुत्र कजाजी, जाति- मीणा, निवासी- नदी किनारे वास, चान्दाना, तहसील-शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1. ग्राम पंचायत, केसरपुरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, केसरपुरा, तहसील-शिवगंज
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 58/2018

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-ः निर्णय ः- **दिनांक 26 अगस्त, 2019**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्याः 11/2017 में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2017 बाबत ग्राम चान्दाना के खसरा संख्या 02 रकबा 150x100 वर्गफीट किस्म गोचर भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध पेश की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का निर्णय पारित करने में कानूनन भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी का पुश्तैनी कब्जा है व मौके पर भूमि का अपीलार्थी के पिता के समय से आवासीय उपयोग हो रहा है। मौके पर अपीलार्थी का पक्का आवासीय मकान है जिसमें विद्युत व नल कनक्शन भी लिया हुआ है तथा स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपीलार्थी के आवासीय मकान में शौचालय का भी निर्माण करवाया हुआ है। मौके पर विवादित भूमि का कभी भी गोचर के रुप में उपयोग नही हुआ है एवं न ही विवादित भूमि मौके पर गोचर है। विवादित भूमि एवं उसके आस-पास मौके पर घनी आबादी बसी हुई है तथा विवादित भूमि के आस-पास अपीलार्थी के अलावा भी कई परिवार निवास कर रहे है तथा मौके पर उनके भी पक्के आवासीय मकानात बने हुए है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि आवासीय मकान में विद्युत व नल कनेक्शन मौके का भौतिक

....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

रुप से सत्यापन कर ही दिये जाते है। हल्का पटवारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत, केसरपुरा ने मौके की वास्तविक स्थिति का अवलोकन किये बगैर ही अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। यह कि अपीलार्थी गरीब एवं कमजोर तबके का व्यक्ति है, जो मजूदरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अपीलार्थी के पास आवास हेतु विवादित भूमि के अलावा अन्य कोई आवासीय भूखण्ड नही है। राज्य सरकार द्वारा भी समय समय पर परिपत्र जारी कर गरीब एवं कमज़ोर वर्ग के लोगों को आवास हेतु भूखण्ड आवंटन करने व ऐसे पुराने कब्जों को नियमन करने के निर्देश दिये है, इस कारण अपीलार्थी विवादित भूमि का अपने हक में आवंटन/नियमन कराने का अधिकारी है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान नही किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि सचिव, ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज में ग्राम चान्दाना की गोचर भूमि पर लोगों द्वारा वाडा/पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किये जाने पर अतिक्रमियों की सूची प्रस्तुत कर अतिक्रमणों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जाने पर अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया है एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है, अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, केसरपुरा की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम चान्दाना के खसरा संख्या 2 रकबा 150x100 वर्गफीट किस्म गोचर भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किया जाने से अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 26.12.2017 को अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ, लेकिन बचाव में कोई जवाब एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नही किये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने ग्राम चान्दाना की उक्त गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर मकान/वाडा का निर्माण किया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही